रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1426/2025/1961/22-2-2023-17(583)/2025

लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संकठा प्रसाद उर्फ राजा (बन्दी सं0-210/2018) पुत्र श्री रामसेवक, जो सराय थाना-मलवॉ, जनपद-फतेहपुर का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-59/1986, भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-3, फतेहपुर के दण्डादेश दिनांक 28.10.1987 को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05-09-2017 द्वारा सजा को यथावत रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश 10-01-2020 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत करते हुये भा0द0वि0 की धारा-304(1) में 10 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 07.12.2022 तक अपरिहार 04 वर्ष, 01 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 06 माह, 22 दिन की सजा भोगी जाने, सामान्य जेल आचरण होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-1426/2025/1961(1)/22-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।